

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर  
प्रा.पत्र / सरफेसी / 68 / 2025

इण्डिया शेल्टर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड रजि० ऑफिस:- 6 फ्लोर, प्लॉट नं०  
15, इन्सटीट्यूटनल ऐरिया सेक्टर-44, गुरुग्राम, हरियाना-122002, क्षेत्रीय शाखा:-  
पी.एस. टॉवर, फर्स्ट फ्लोर, कुम्हेर गेट सरक्यूलर रोड, नीयर आईसीआई बैंक  
भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी धर्मराज

.....प्रार्थी / प्रतिभूति लेनदार

बनाम

1. श्रीमती हेमलता पत्नी अशोक
  2. श्री अशोक पुत्र श्री देवीराम
- पता-1 कबई भरतपुर राज० 321602  
पता-2 पट्टा नं.-02, ग्राम कबई, ग्राम पंचायत  
कबई, पंचायत समिति नदबई, तहसील नदबई  
जिला भरतपुर राज० 321602

.....ऋणी / सहऋणी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड  
रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट  
ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 एतद् पश्चात 'एक्ट' से संबोधित  
किया गया है बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

आदेश

दिनांक 26.12.2025


प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का  
प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत  
विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण/ऋणी ने  
प्रार्थी बैंक से दिनांक 09.09.2024 को जरिए ऋण अनुबन्ध खाता संख्या  
HLBRSVLONS000005136970 से ऋण राशि रु. 7,52,800/- (शब्देन सात लाख  
बावन हजार आठ सौ रूपये मात्र) की ऋण सुविधा ली गई थी। उक्त ऋण सुविधा  
के ऐवज में अप्रार्थी० ने अपनी आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 02 बुक सं० 04, ग्राम  
एवं ग्राम पंचायत कबई, पंचायत समिति एवं तहसील नदबई जिला भरतपुर राज० में  
स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के  
अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 150.00 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ  
सीमाएँ इस प्रकार हैं उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में महावीर का  
मकान, पश्चिम में जयसिंह का मकान है जो अप्रार्थी० श्री अशोक पुत्र श्री देवी राम  
के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको  
प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित  
किया था पर कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

.....2

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर


अप्रार्थी० के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि नियत समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता को दिनांक 10.06.2025 को एन.पी.ए. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 10.06.2025 तक कुल बकाया राशि 7,99,357 /— रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चे, अप्रार्थी० पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी० ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 12.06.2025 को अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, साथ ही दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी० द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। प्रार्थना पत्र सरफेसी स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी उपर्युक्त सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा— 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड दिनांक 12.06.2025 अप्रार्थी० को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया, साथ ही दिनांक 24.06.2025 के जनसत्ता हिन्दी समाचार पत्र एवं फाईनेन्सियल एक्सप्रेस अंग्रेजी समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया है। नोटिस रिसीब्ड होने के उपरान्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बाबजूद भी अप्रार्थी० ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बाबजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से सिक्वोरिटार्डिजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरेस्ट एक्ट 2002 अन्तर्गत धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी०/ऋणी/सहऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित पाते हैं।

  
जिला कलेक्टर  
भरतपुर

अतः आदेश है कि :-

अतः प्रार्थना-पत्र सरफेरी एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अपनी अचल सम्पत्ति आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 02 बुक सं० 04, ग्राम एवं ग्राम पंचायत कबई, पंचायत समिति एवं तहसील नदबई जिला भरतपुर राज० में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्मिलित हैं, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 150.00 वर्गगज है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार हैं उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में महावीर का मकान, पश्चिम में जयसिंह का मकान है जो अप्रार्थी० श्री अशोक पुत्र श्री देवी राम के क्षेत्राधिकार में स्थित है। ऋण के ऐवज में बंधक रखी गई उक्त सम्पत्ति जिसको प्रार्थी बैंक/फाईनेन्स कम्पनी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

  
(कमर उल जमान चौधरी)  
जिला कलक्टर  
भरतपुर